



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 16 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 25, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,  
ASHOKA ROAD,  
NEW DELHI-110001

16<sup>th</sup> December, 2020

Dated :  
25 Agrahayana, 1942 (Saka)

### NOTIFICATION

**No. 429/U.P./2016:-** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13B of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes following amendments in its Notification no. 429/U.P./2016, dated 30<sup>th</sup> August, 2016, relating to appointments of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

In Column-2 of the table appended to the said notification, the existing entry against item No. 262-Allahabad North, "Additional City Magistrate First, Allahabad" shall be substituted with the entry "Additional Sub Divisional Officer, Sadar, Prayagraj".

By order,  
ANUJ JAIPURIAR,  
*Sr. Principal Secretary.*

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
*Secretary, Election.*

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2020  
25 अग्रहायण, 1942 (शक)

**अधिसूचना**

**सं० 429/उ०प्र०/2016** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ०प्र०/2016, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में निम्नवत् संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में, मद संख्या 262-इलाहाबाद उत्तर के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "अपर नगर मजिस्ट्रेट, प्रथम, इलाहाबाद" के स्थान पर प्रविष्टि "अपर उप जिलाधिकारी, सदर, प्रयागराज" प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,  
अनुज जयपुरियार,  
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव, निर्वाचन।